


19-12-17

पत्रावली पेशा ड्रेश वकील वादी उपस्थित नहीं। वकील व वादी के वकील की छिन्नी ही मर्तबा विधिवत आवजे डिपार्ड जाने के उपरान्त भी उपस्थित नहीं होने के कारण वादीका वादपत्र अदम हाजरी व अदम पैरवी मे खारिज किया जाता है। पत्रावली फेसल शुमार की जाकर दफ्तर दारखिल हो।



उपखण्ड अधिकारी
मांडस जिला भीनवाड़ा